



राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या-पं०नि० 30-26/2018- 2966

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
अरवल।

पटना, दिनांक- 24.07.2024

विषय:- जिला परिषद अरवल उपाध्यक्ष के रिक्त पद पर निर्वाचन के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 527 दिनांक 15.07.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा आयोग को अरवल के जिला परिषद उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के फलस्वरूप उक्त रिक्त पद पर निर्वाचन कराये जाने हेतु तिथि निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 121 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 एवं बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के संगत प्रावधानों तथा आयोग के पत्रांक 8964 दिनांक 18.12.2021 द्वारा निर्गत सामान्य दिशा-निर्देशों एवं गजट संख्या 638 तथा 639 दिनांक 31.08.2010 के अधीन जिला परिषद अरवल के उपाध्यक्ष के रिक्त पद पर दिनांक 08.08.2024 को निर्वाचन कराने का निदेश दिया गया है।

3. कृपया उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु विशेष बैठक की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना प्रपत्र 24 में ससमय निर्गत कर दी जाए तथा यह सुनिश्चित कराया जाए कि उक्त जिला परिषद के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सभी सदस्यों को सूचना दिनांक 31.07.2024 तक निश्चित रूप से प्राप्त हो जाए। निर्वाचन संपन्न हो जाने के तुरंत बाद उसी दिन निर्वाचित उपाध्यक्ष को सक्षम प्राधिकारी द्वारा शपथ ग्रहण भी करा दिया जाएगा।

4. उपाध्यक्ष के निर्वाचन की सम्पूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी सही समय एवं तिथि अंकित करते हुए की जाएगी। वीडियोग्राफी की एक प्रति आयोग को निर्वाचन के पश्चात दो दिनों के अन्दर उपलब्ध करा दी जायगी।

3. अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए आयोग को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

विशेष कार्य पदाधिकारी।

पटना, दिनांक - 24.07.2024

ज्ञापक पं०नि० 30-26/2018- 2966

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार/अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना/आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया एवं पुलिस अधीक्षक, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी।

24.7.24



सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या-पं0नि0 30-26/2018- 2967

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

आयुक्त,
मगध प्रमंडल, गया।

पटना, दिनांक- 24.07.2024

विषय:- जिला परिषद, अरवल के उपाध्यक्ष के रिक्त पद पर निर्वाचन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला परिषद, अरवल उपाध्यक्ष के रिक्त पद पर दिनांक 08.08.2024 को निर्वाचन संपन्न कराया जाना है। इस पद पर निर्वाचन हेतु जिला पदाधिकारी, अरवल को निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है। आयोग के पत्रांक 2966 दिनांक 24.07.2024 से इसकी सूचना सभी संबंधित को दे दी गयी है एवं इसकी प्रति आपको भी दी गयी है।

2. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से निर्वाचन सुनिश्चित करने हेतु आयोग द्वारा निदेश दिया गया है कि अपने क्षेत्राधीन (किन्तु अरवल जिला से भिन्न) पदस्थापित बिहार प्रशासनिक सेवा के अपर समाहर्ता या उससे उच्च स्तर के किसी पदाधिकारी को संबंधित पद पर निर्वाचन हेतु प्रेक्षक के रूप में कृपया प्रतिनियुक्त किया जाय। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी का नाम/पदनाम/मोबाईल नम्बर एवं अन्य सूचना विहित प्रपत्र में आयोग को दिनांक 29.07.2024 के पूर्व आयोग एवं जिला को कृपया उपलब्ध करा दिया जाय। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी पूरी निर्वाचन प्रक्रिया पर संबंधित अधिकारियों की भूमिका सहित एक आत्मभारित प्रतिवेदन आयोग को निर्वाचन समाप्त होने के बाद संलग्न विहित प्रपत्र (प्रेक्षक की प्रतिवेदन) में उसी दिन संध्या तक निश्चित रूप से समर्पित करेंगे। प्रेक्षक आयोग के पत्रांक 8964 दिनांक 18.12.2021 एवं गजट संख्या 638 तथा 639 दिनांक 31.08.2010 का अध्ययन अवश्य कर लेंगे ताकि निर्वाचन में किसी तरह की प्रक्रियात्मक भूल नहीं रह जाए।

3. अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए आयोग को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

 24/7/24
विशेष कार्य पदाधिकारी।

पटना, दिनांक - 24.07.2024

ज्ञापांक पं0नि0 30-26/2018- 2967

प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 24/7/24
विशेष कार्य पदाधिकारी।

 24.7.24